# न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र०स०105/19 ता०रजु. 19.11.19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 15

सरकार

बनाम

करनसिंह पुत्र रामोली

---

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का कपूरा मल्लुका ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम कपूरा मल्लुका के खसरा नम्बर 1307 रकबा 1.51 हैक्ट. किस्म भूमि गै०मु० रास्ता पर सम्वत 2076 में श्री करन सिंह s/o रामोली ग्राम कपूरा मल्लुका तह0 बयाना ने 0.08, 0.004 अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा उपने जबाब में स्वंय का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भू.अ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भू.अ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2020 में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब भू.अ.निरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पंहुचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 1307 रकवा 0.08, 0.04 हैक्ट. वाके ग्राम कपूरा मल्लुका से बेदखल किया जाता है लगान 0.48 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 24/- रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की नामे कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवाप्ति कब्जा/ बेदखली बावत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ह. नै.

दिना.

तहसीलदार
बयाना